भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1070
05 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी आवास की कमी

†1070. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निरंतर पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त बजटीय आवंटन के बावजूद, लगभग बीस मिलियन शहरी आवास इकाइयों की निरंतर कमी की समीक्षा की है, जिनमें से पचानवे प्रतिशत से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न-आय वर्ग से संबंधित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विशेषकर महानगरों, जहां आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक आवास में रहता है, में मलिन बस्तियों और अवैध बस्तियों के विकास को रोकने के लिए लक्षित हस्तक्षेप का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या महानगरों पर प्रवासन के दबाव को कम करने के लिए पांच लाख से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे और मध्यम कस्बों और शहरों के संतुलित आर्थिक और भौतिक विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) आवास नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और सतत शहरी विकास को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और योजनाकारों के बीच समन्वय को मजबूत करने हेतु विचाराधीन उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(**क**) और (ख): **'**भूमि**'** और **'**कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आवास की आवश्यकता का आकलन करने और अपने नागरिकों के लिए आवास उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत स्लमवासियों सहित देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर

रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएं हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आवास की मांग का स्वरूप परिवर्तनशील है और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद इन्हें चरणबद्ध तरीके से केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, महानगरों सहित देश भर में मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं के तहत अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 10.66 लाख आवासों सहित कुल 122.28 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवासों में से 114.84 लाख आवासों का निर्माण शुरू किया जा चुका है, जिनमें से 97.02 लाख आवास 22.01.2026 तक पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। स्वीकृत आवासों में से 29 लाख से अधिक लाभार्थी स्लमवासी हैं।

(ग) और (घ) पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय छोटे और मझोले कस्बों और शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवा प्रदायगी और आर्थिक अवसरों में सुधार करने के लिए विभिन्न मिशनों, जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) और एसबीएम-यू 2.0 और पीएम ई-बस सेवा के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। जिससे संतुलित शहरी विकास होता है और महानगरों में प्रवासन कम करने में मदद मिलती है।

*****